संख्या-3/2021/08भा.स./का-2/2021

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2021

विषयः- आरक्षित वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1.1(6)/2021-E-XXI, दिनांकः 22.03.2021 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के उक्त सन्दर्भित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांकः 22.03.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सिविल सर्विस (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 में सम्मिलित होने के लिए आयोग की बेवसाइट पर दिनांकः 04 मार्च से 24 मार्च, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है जिसके अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी/ई0डब्ल्यू0एस0/पी0डब्ल्यू0बी0डी0 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि 23.03.2021 के पूर्व जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों, विशेषकर ओ0बी0सी/ई0डब्ल्यू0एस0 के कतिपय प्रत्यावेदन इस आशय से प्राप्त हो रहें है कि प्रदेश में चुनावी प्रकिया सम्बन्धी कार्य/सम्बन्धित अधिकारियों की अनुपलब्धता/कर्मचारियों की हड़ताल/कोविड-19 महामारी आदि समस्याओं के कारण प्रमाण-पत्र बनवाये जाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो के लिए जाति प्रमाण-पत्र, दिव्यांग व्यक्तियों के दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वांछित प्रमाण-पत्र ससमय निर्गत किया जाना आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य है। किसी भी प्रकार के कार्याधिक्य के आधार पर इस कार्य में विलम्ब उचित नहीं है।

अतः जनपद स्तर के समस्त अधिकारियों को जाति प्रमाण-पत्र/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें, ताकि प्रतियोगी छात्र/छात्राओं को कोई अहित न हो।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2021/08भा.स. (1)/का-2/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांकः 22.03.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
निर्मेष कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No. 221 /MS/SECY GI/2021

वसुधा मिश्रा, भा.प्र.से.
Vasudha Mishra, IAS

सं॰ ०४/भा॰स॰/वा॰-१/२०२१

सत्यमेव जयते

सचिव
SECRETARY
संघ लोक सेवा आयोग
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
धौलपुर हाऊस, शाहजहाँ रोड
Dholpur House, Shahjahan Road
नई दिल्ली–110069
New Delhi-110069

MOST IMMEDIATE

D.O. No. 1.1(6)/2021-E.XXI

22nd March, 2021

Dear Shri Tiwari,

This is regarding the Civil Services (Preliminary) Examination, 2021. I am to inform you in this connection that the online application form for this Examination is available on the Commission's Website for the aspirants during the period from 4th March to 24th March, 2021.

2. As per the Rules of the Examination, as notified by the Government (DoP&T), the candidates claiming reservation under the SC/ST/OBC/EWS/PwBD categories are required to have category certificates issued prior to the closing date of application i.e. 23rd March, 2021 (tomorrow).

3. It is to mention in this respect that number of representations have been received from the aspirants, especially claiming the reservation under OBC/EWS categories, that they are facing huge difficulties in obtaining the requisite category certificates due to various reasons including Elections-related work/non-availability of officers concerned/strike by employees/ covid-19 pandemic, etc.

.....2